सोशल मीडिया सेल आजमगढ़

पत्र सं0- 325/21 **दिनांक -08 जुलाई2021**

प्रेस नोट

थाना-पवई

लड़की का अपहरण व दुष्कर्म करने वाला वांछित गिरफ्तार

दिनांक- 06.07.2021 को एक गाँव की महिला थाना-पवई, आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी की बेटी रात्रि को शौच करने बाहर गयी तो नीरज गौंड पुत्र सुबाष गौड निवासी शेरजहापुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा मेरी बेटी का अपहरण कर कहीं ले गया है, इस सूचना थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया,गैगेस्टर की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे विशेष अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के निर्देशन निर्देशन में उ0नि0 वीरेन्द्र यादव मय हमराहियान के अपराध एवं अपराधियों तथा संदिग्ध व्यक्ति / वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्ततो की गिरफ्तारी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे मु0अ0सं0 82/2021 धारा 366/376/504/506 भादवि के नामजद अभियुक्त नीरज गौंड पुत्र सुबाष गौड निवासी शेरजहापुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ को मुखबीर खास की सूचना पर पुलसराये चौराहे पर दबिश देकर दिनांक 07.07.21 समय करीब 19.50 बजे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

पूछताछ पर अभियुक्त नीरज गौंड पुत्र सुबाष गौड निवासी शेरजहापुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ अपने जुर्म को स्वीकार करते हुये अपनी सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बता रहे है।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 82/2021 धारा 366/376/504/506 भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त / अभियुक्ता–

1- नीरज गौंड पुत्र सुबाष गौड निवासी शेरजहापुर थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 वीरेन्द्र यादव थाना पवई जनपद आजमगढ़
2. म0का0 मनफूल यादव थाना पवई जनपद आजमगढ़